

15/12

आजमे पत्रा. केमकोर प्रम.वा. ने फरदुकी
प.स.मा.ग. ने राजीनामपत्र किया किन्तु मा.अ.स.को
विश्व जगत् अन्तर्गत राजीनामा पत्रा. जग. वा. वा.द.
डि.डी. किया जाना है पत्रा.वा. में निवेदन डी.डी. अन्त.
सो.को.जग. जग. अ.पत्रा. मा. केमकोर में लुप्त
गया पत्रा. न.स. 2 से जग. होमा. वा.द. व.अ.मा.
दस्तावेज जग. मा. वा.द.

जग. खण्ड अधिकारी
ओरहासिम (बनवर)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प... 2. क. 2. 19. 1
पीठासीन अधिकारी :- बलवन्तसिंह लिग्री, आर. ए. एस.

उनवान

..... श्री सिंह बनाम गजेश्वरी 4521

दावा बाबत 242/10-10-13 का म. 2-3-13 86151

मुकदमा नम्बर :- 242/10-10-13


निर्णय दिनांक :- 19-05-2016

वादी की ओर से श्री सिंह की व प्रतिवादी की ओर से गजेश्वरी की
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19-05-2016 को बलवन्तसिंह लिग्री (नाम पीठासीन
अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश
किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - आजीवन 100 रु (एक सौ रुपये) तक 2 महीने 10 दिनों

वामेश्वरी - मालविका नंद कोटकासिम पर वादीश्वरी को खर्चदार का 20 मूल
चाहिए किन्तु जता है प्रति. 1 से प का नाम मलमलन कि प्रालोक को प्राप्त दिने
जो है उम्मानुसाल राजेश्वरी निवासी में अग्रम विधि लगे प्रति. 1 से प का
दुम्प्रमिन्त नारी दशमी से पक्षक विधि जता है प्रति. नम्बर 2 से मप्रदीक
अदालत मीम शक्तिम दण्ड की लगे विधि म प्रमोर् में कि प्रालोक जता
सुवाच म प्र।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी
गई।


(बलवन्तसिंह लिग्री)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी